संख्या-5/2019/वे0आ0-2-245/दस-2019-04(एम)/2016

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक : 03 जून, 2019**

विषय– दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मंहगाई भत्ता एवं पुनरीक्षित पेंशन व महंगाई राहत के अवशेष की द्वितीय किश्त के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10(i) में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मंहगाई भत्ता के अवशेष का भुगतान किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 21 सितम्बर, 2017 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा भी निर्देश जारी किये गये थे। शासनादेश संख्या-5/2018/वे0आ0-2-330/दस-04(एम)/2016, दिनांक 18 मई, 2018 द्वारा राजकीय कर्मचारियों, राजकीय/सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा नगरीय स्थानीय निकायों के कार्मिकों एवं पेशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मंहगाई भत्ता के अवशेष के 50 प्रतिशत अंश के प्रथम किस्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में (यथासम्भव दिनांक 30 जून, 2018 तक) किया जायेगा के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

2- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों, राजकीय/सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मंहगाई भत्ता एवं पुनरीक्षित पेंशन व महंगाई राहत के अवशेष के 50 प्रतिशत अंश के द्वितीय किस्त का भुगतान वित्तीय

----2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्ष 2019-20 में यथासम्भव दिनांक 30 जून, 2019 तक किया जायेगा। अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार यथावत रहेगी। नगरीय स्थानीय निकायों के कार्मिकों को द्वितीय किश्त के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति से प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

3- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 21 सितम्बर, 2017, शासनादेश संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या-5/2018/वे0आ0-2-330/दस-04(एम)/2016, दिनांक 18 मई, 2018 से सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2019/वे0आ0-2-245(1)/दस-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
10- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in